कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 44 /अनिवार्य स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत प्र.अ., रा.उ.प्रा.वि. वेतनक्रम 47600–151100 लेवल–08 को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण	
			कहाँ से	कहाँ को
01	श्री दीवान सिंह मेहता	प्र.अ.	रा.उ.प्रा.वि., खोलियागॉव	रा.उ.प्रा.वि., खांकर, बागेश्वर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 1416-25 /अनि.स्थानान्तरण /2019–20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी बागेश्वर।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. बागेश्वर को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 32 /अनिवार्य स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत स.अ. रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 35400–112400 लेवल–06 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण	
			कहॉ से	कहॉ को
01	श्रीमती सीमा साह	स.अ.	रा.प्रा.वि., फल्याटी , बागेश्वर	रा.प्रा.वि., स्यालडोबा, बागे.

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 1208-17 /अनि.स्थानान्तरण /2019–20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., बागेश्वर को इस निर्देश के साथ कि स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 33 /अनिवार्य स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत प्र.अ., रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 44900–142400 लेवल –07 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण	
			कहॉ से	कहॉ को
01	श्रीमती हेमलता कपकोटी	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., जौलगॉव, बागे.	रा.प्रा.वि., कन्यालीकोट, कप.
02	श्री प्रेम सिंह दोसाद	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., गढ़सेर, गरूड़	रा.प्रा.वि., द्यौनाई, गरूड़
03	श्रीमती ममता जोशी	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., छानी, बागे.	रा.प्रा.वि., कोठों, गरूड़

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 1218-33 /अनि.स्थानान्तरण /2019–20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/उप कोषाधिकारी, काण्डा, कपकोट, गरूड़।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. कपकोट, बागेश्वर एवं गरूड़ को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 35 /अनुरोध के आधार पर/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5004–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख के पैरा पांच के अनुसार जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित प्र.अ. रा.उ.प्रा.वि. वेतनक्रम 47600–151100 लेवल–08 को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण	
			कहाँ से	कहाँ को
01	श्रीमती कमला तिरुवा	प्र.अ.	रा.उ.प्रा.वि., शीशाखानी	रा.उ.प्रा.वि., सरना, बागेश्वर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 1250-59 /अनुरोध के आधार पर /2019–20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर, कांण्डा, कपकोट, गरूड़।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि, कपकोट, बागेश्वर एवं गरूड़ को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 36 /अनुरोध के आधार पर/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख के पैरा चार के अनुसार जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित स.अ., रा.उ.प्रा.वि. वेतनक्रम 44900–142400 लेवल –07 को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम/विषय	स्थानान्तरण	
			कहॉ से	कहॉ को
01	श्री वृजेन्द्र सिंह देव	स.अ., विज्ञान	रा.उ.प्रा.वि., तोली, कपकोट	रा.उ.प्रा.वि., चलकाना, कपकोट

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 1260-69 /अनुरोध के आधार पर/2019–20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 उप कोषाधिकारी, उपकोषागार, कपकोट।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. कपकोट को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 34 /अनिवार्य स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत स.अ., रा.उ.प्रा.वि. वेतनक्रम 44900–142400 लेवल –07 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण	
			कहाँ से	कहाँ को
01	श्रीमती ममता चौधरी	स.अ.	रा.उ.प्रा.वि., अमतौड़ा	रा.उ.प्रा.वि., ओखलसौं
02	श्रीमती गीता आर्या	स.अ.	रा.उ.प्रा.वि., छातीखेत	रा.उ.प्रा.वि., शीशाखानी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 1234-49 /अनि.स्थानान्तरण /2019–20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर, काण्डा, कपकोट, गरूड़।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. कपकोट, बागेश्वर एवं गरूड़ को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 37 /अनुरोध के आधार पर/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के कम में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख के पैरा छः के अनुसार जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित स.अ. रा.उ.प्रा.वि. वेतनकम 44900–142400 लेवल –07 को उसी पद एवं वेतनकम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम/विषय	स्थानान्तरण	
			कहॉ से	कहॉ को
01	श्री ललित मोहन जोशी	स.अ., विज्ञान	रा.इ.का., रातिरकेटी, कप.	रा.उ.प्रा.वि., रैखौली, बागे.
02	श्री कृष्ण सिंह	स.अ., विज्ञान	रा.इ.का., कुवॉरी, कप.	रा.उ.प्रा.वि., लोहागढ़ी, गरूड़

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 1270-85 /अनुरोध के आधार पर/2019–20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर, काण्डा, कपकोट, गरूड़।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. कपकोट, बागेश्वर एवं गरूड़ को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 38 /अनुरोध के आधार पर/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख के पैरा चार के अनुसार जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित प्र.अ., रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 44900–142400 लेवल –07 को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण	
			कहॉ से	कहॉ को
01	श्री अशोक कुमार	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., तरसाल, कपकोट	रा.प्रा.वि., हरसीला, कपकोट
02	श्रीमती संतोषी	प्र.अ.	रा.प्रा.वि.,मझेड़ा, कपकोट	रा.प्रा.वि., शोभाकुण्ड, कपकोट

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 1286-1301 / अनुरोध के आधार पर/2019–20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर, काण्डा, कपकोट, गरूड़।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., कपकोट को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 39 /अनुरोध के आधार पर/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के क्रम में वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख के पैरा एक के अनुसार जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत निम्नांकित स.अ. रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 35400–112400 लेवल–06 को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण	
			कहॉ से	कहॉ को
01	श्री मनोहर प्रसाद	स.अ.	रा.प्रा.वि., कपूरी, बागेश्वर	रा.प्रा.वि., उडलगॉव, बागे.
02	श्री प्रदीप कुमार अमरोही	स.अ.	रा.प्रा.वि., रीमाक्वीटी, कपकोट	रा.प्रा.वि., तल्ला नाकुरी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 1302-1317 /अनुरोध के आधार पर/2019–20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर, कपकोट, गरूड़।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. कपकोट, बागेश्वर एवं गरूड़ को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 40 /अनुरोध के आधार पर/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपद के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत रा.प्रा.विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को उनके आवेदन पत्र में अंकित विकल्पों के कम में स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17 ख के पैरा चार के अनुसार जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नांकित स.अ. रा.प्रा.वि. वेतनकम 35400–112400 लेवल–06 को उसी पद एवं वेतनकम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में निजी व्यय पर स्थानान्तरित किया जाता है।

क. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण	
			कहॉ से	कहॉ को
01	श्री हरीश चन्द्र सिंह हरकोटिया	स.अ.	रा.प्रा.वि. मिकिला,कपकोट	रा.प्रा.वि. तुनेड़ा, बागेश्वर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 1318-29 /अनुरोध के आधार पर/2019–20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर, कपकोट।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. कपकोट, एवं बागेश्वर को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 43 /अनिवार्य स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत स.अ., रा.उ.प्रा.वि. वेतनक्रम 44900–142400 लेवल –07 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं.	अध्यापक का नाम	पद नाम	विषय	स्थानान्तरण	
				कहॉ से	कहॉ को
01	श्रीमती पुष्पा माजिला	स.अ.	हिन्दी	रा.उ.प्रा.वि., पंचौड़ा,बागे.	रा.उ.प्रा.वि., टिटोली, बागेश्वर
02	श्री श्याम सुन्दर वर्मा	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि., मथुरौंपाटली	रा.उ.प्रा.वि., विमौला
03	श्री गजेन्द्र सिंह	स.अ.	विज्ञान	रा.उ.प्रा.वि., किड़ई, कप.	रा.उ.प्रा.वि., छातीखेत, बागे.
04	श्री सुरेन्द्र वर्मा	स.अ.	सामान्य	रा.उ.प्रा.वि., थापल,गरूड़	रा.उ.प्रा.वि., माल्दे, गरूड़
05	श्री ख्याली दत्त जोशी	स.अ.	भाषा	रा.उ.प्रा.वि., मटीना	रा.उ.प्रा.वि., द्यौरड़ा, गरूड़
06	श्री बलवन्त सिंह	स.अ.	विज्ञान	रा.उ.प्रा.वि.,चलकाना,कप.	रा.उ.प्रा.वि., कौसानी, गरूड़

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

पृ.सं./प्रा.शि./ 1396 - 1415 /अनि.स्थानान्तरण /2019–20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर, काण्डा, कपकोट, गरूड़।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., कपकोट, बागेश्वर एवं गरूड़ को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 41 /अनिवार्य स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत स.अ., रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 35400–112400 लेवल–06 में कार्यरत निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण	
			कहॉ से	कहॉ को
01	श्रीमती तारा ऐठानी	स.अ.	रा.प्रा.वि., विखातीगॉव,कप.	रा.प्रा.वि., राकसी, कपकोट
02	श्री सुनीत सिंह डसीला	स.अ.	रा.प्रा.वि., दिगोली, बागेश्वर	रा.प्रा.वि., बाजीरौट, बागेश्वर
03	श्री सुरेश पाल	स.अ.	रा.प्रा.वि., उडियारीलाथी,कप.	रा.प्रा.वि., चरक्यूड़ा, कपकोट
04	श्री विनोद कुमार	स.अ.	रा.प्रा.वि., कनौली, कपकोट	रा.प्रा.वि., फरसालीपल्ली,कप
05	श्री नरेन्द्र कुमार सैनी	स.अ.	रा.प्रा.वि., बसकूना, कपकोट	रा.प्रा.वि., असौ, कपकोट
06	श्री बीना कुमारी	स.अ.	रा.प्रा.वि., लस्करखेत, गरूड़	रा.प्रा.वि., डंगोली, गरूड़
07	श्रीमती रूकशाना बानो	स.अ.	रा.प्रा.वि., घिरतोली, गरूड़	रा.प्रा.वि., विमौला, गरूड़
08	श्री रमेश कुमार	स.अ.	रा.प्रा.वि., कोटकुमा, कपकोट	रा.प्रा.वि., कौसानी, गरूड़
09	श्री मुल्कीराज	स.अ.	रा.प्रा.वि., बास्ती, कपकोट	रा.प्रा.वि., गढ़सेर, गरूड़
10	श्रीमती सविता देवी	स.अ.	रा.प्रा.वि., शिलिंगतोली, गरूड़	रा.प्रा.वि., पचना, गरूड़
11	श्रीमती अलका रानी	स.अ.	रा.प्रा.वि., अमस्यारी, गरूड़	रा.प्रा.वि., छटिया, गरूड़
12	श्रीमती मीरा रौतेला	स.अ.	रा.प्रा.वि., नरगोली, बागेश्वर	रा.प्रा.वि., मेहनरबूँगा, बागे.
13	श्री धीरज कुमार जोशी	स.अ.	रा.प्रा.वि., रयूनीलखमार, गरूड़	रा.प्रा.वि., तिलाडीतोक, बागे.
14	श्री आनन्द सिंह रावत	स.अ.	रा.प्रा.वि., सोराग, कपकोट	रा.प्रा.वि., पुरड़ा, गरूड़
15	श्री मनोहर सिंह	स.अ.	रा.प्रा.वि., किलपारा, कपकोट	रा.प्रा.वि., बागेश्वर द्वितीय
16	श्री जगमोहन जोशी	स.अ.	रा.प्रा.वि., ठेली, कपकोट	रा.प्रा.वि., बिलौना, बागेश्वर
17	श्री विनोद कुमार	स.अ.	रा.प्रा.वि., जल्थाकोट, बागेश्वर	रा.प्रा.वि., द्यांगण, बागेश्वर
18	श्री देवेन्द्र कुमार	स.अ.	रा.प्रा.वि., भटंग, कपकोट	रा.प्रा.वि., ऐठाण, कपकोट
19	श्री चन्दन सिंह	स.अ.	रा.प्रा.वि., वाछम, कपकोट	रा.प्रा.वि., भयूँ, कपकोट
20	श्री दिनेश कुमार	स.अ.	रा.प्रा.वि., किलपारा, कपकोट	रा.प्रा.वि., गुलम, कपकोट
21	श्री मुकेश कुमार	स.अ.	रा.प्रा.वि., ऊनू, कपकोट	रा.प्रा.वि., सिमस्यारी, बागे.
22	श्री भूपेन्द्र सिंह भण्डारी	स.अ.	रा.प्रा.वि., खाती, कपकोट	रा.प्रा.वि., कज्यूली, गरूड़
23	श्री मेघ सिंह	स.अ.	रा.प्रा.वि., तीख, कपकोट	रा.प्रा.वि., अणा, गरूड़

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner

पू.सं./प्रा.शि./ 1330-66 /अनि.स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर, कांण्डा, कपकोट, गरूड़।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., कपकोट, बागेश्वर एवं गरूड़ को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बागेश्वर।

आदेश संख्या/ 12 /अनिवार्य स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक 25.06.2019

अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम श्रेणी हेतु)

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून के कार्यालय पत्रांक/एजूकेशन पोर्टल/5084–5101/2019–20 दिनांक 10.06.2019 के अनुपालन में जनपदस्तरीय गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद बागेश्वर के प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत प्र.अ., रा.प्रा.वि. वेतनक्रम 44900–142400 लेवल–07 में निम्नांकित अध्यापकों को उसी पद एवं वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र. सं0	अध्यापक का नाम	पद नाम	स्थानान्तरण	
			कहाँ से	कहाँ को
01	श्रीमती पार्वती भाकुनी	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., मौउडियार	रा.प्रा.वि., नौगॉव
02	श्रीमती तारा नगरकोटी	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., ढप्टी	रा.प्रा.वि., कानेकन्याल
03	श्रीमती जानकी वर्मा	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., द्यौनाई	रा.प्रा.वि., बिनखोली
04	श्री प्रेम सिंह चौड़िया	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., चौड़ा	रा.प्रा.वि., रीठावगड़
05	श्रीमती हेमन्ती विष्ट	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., देवलखेत	रा.प्रा.वि., पुरड़ा
06	श्रीमती देवकी जोशी	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., शिलिंगवाड़ी	रा.प्रा.वि., दर्शानी
07	श्री रमेश सिंह राणा	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., खर्ककानातोली	रा.प्रा.वि., जालेख
08	श्रीमती मंजू वर्मा	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., धैना	रा.प्रा.वि., ढुकुरा
09	श्रीमती रमा पाठक	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., कन्यालीकोट	रा.प्रा.वि., वुड़घुना
10	श्रीमती रेवती बड़ती	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., वुरमोला	रा.प्रा.वि., असौं
11	श्री प्रकाश चन्द्र पन्त	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., ठांगा	रा.प्रा.वि., आगर
12	श्री घनश्याम सिह विष्ट	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., नैलकत्यूर	रा.प्रा.वि., रवाईखाल
13	श्री हेमन्त कुमार वर्मा	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., खुलदौड़ी	रा.प्रा.वि., भाटनीकोट
14	श्री राजन राम	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., गणेशपुर	रा.प्रा.वि., काण्ड़ा
15	श्रीमती जानकी	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., पठक्यूड़ा	रा.प्रा.वि., मनकोट
16	श्री दरवान सिंह	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., स्यालडोवा	रा.प्रा.वि., धिघारूतोला
17	श्रीमती फिरदौस परवीन	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., वद्रीनाथ	रा.प्रा.वि., कौसानी
18	श्रीमती नीमा रौतेला	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., सैंज नवीन	रा.प्रा.वि., रैखोली
19	श्री मोहन सिंह खाती	प्र.अ.	रा.प्रा.वि., कुरौली	रा.प्रा.वि., डुगरी

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी।

01 दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के उपरान्त एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे।

02 स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।

03 स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

04 स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/ टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

05 स्थानान्तरित शिक्षकों का माह जुलाई, 2019 का वेतन नवीन तैनाती के विद्यालय से आहरित किया जायेगा, उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(नरेश शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

क्रमशः–2– पर

Scanned by CamScanner

पृ.सं./प्रा.शि./ 1367-75 /अनि.स्थानान्तरण /2019-20 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून।
02 जिलाधिकारी, बागेश्वर।
03 मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर।
04 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
05 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, देहरादून।
06 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
07 मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर।
08 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बागेश्वर, कांण्डा, कपकोट, गरूड़।
09 उप शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि., कपकोट, बागेश्वर एवं गरूड़ को इस निर्देश के साथ स्थानान्तरित शिक्षकों को स्थानान्तरण आदेश समयान्तर्गत अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए दीर्घ ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के एक सप्ताह के भीतर स्थानान्तरित शिक्षकों को कार्यमुक्त करवाना सुनिश्चित करें।
10 सम्बन्धित शिक्षक।
11 कार्यालय सुरक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारम्भिक शिक्षा,
बागेश्वर(उत्तराखण्ड)।

Scanned by CamScanner